न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 49/2016 दायरा दिनांक : 22.02.2016

उनवान

1— रईस पुत्र लतीफ शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

2— रशीद पुत्र लतीफ शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

3— कल्लो बी बेवा लतीफ शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

4— नजमा बी पुत्री लतीफ शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

5— सितरा बी पुत्री लतीफ शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— नन्हें शाह वल्द नूरा शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

2— हाजराबाई वल्द नूरा शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

3— कालीबाई वल्द नूरा शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

4— शब्बीरनबाई वल्द नूरा शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

5— गरीबनबाई वल्द नूरा शाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

6— मंगूशाह पिता लुकमान शाह, जाति मुसलमान, निवासी मोढी बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

7— हुसैन मोहम्मद पिता लुकमान शाह, जाति मुसलमान, निवासी मोढी बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

8— हबीब पिता लुकमान शाह, जाति मुसलमान, निवासी मोढी बकानी, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड

9— अजहरूद्दीन आत्मज अमीरउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी पानी की टंकी वाटर वर्क्स पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

10— अनवरूद्दीन आत्मज अमीरउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी पानी की टंकी वाटर वर्क्स पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

11— नूरउद्दीन आत्मज अमीरउद्दीन, जाति मुसलमान, निवासी पानी की टंकी वाटर वर्क्स पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

12— मोहम्मद रशीद आत्मज अब्दुल अजीज, जाति मुसलमान, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

13— नोशे खां वल्द काले खां, जाति मुसलमान, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

14— हबीबुल्ला वल्द काले खां, जाति मुसलमान, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

15— खलीलउल्ला वल्द काले खां, जाति मुसलमान, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

16— अतीकउल्ला वल्द काले खां, जाति मुसलमान, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

17– मसीउल्ला वल्द काले खां, जाति मुसलमान, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

18– कलीमउल्ला वल्द काले खां, जाति मुसलमान, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

19– मेहरून्निसा बी वल्द काले खां, जाति मुसलमान, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

20– सितराबी पिसरान नोशेखां, जाति मुसलमान, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

21– खुर्शीद खानम पत्नी मंसूर मोहम्मद, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा, जिला झालावाड

22– जमीला बीप ुत्री सकुनतशाह, जाति मुसलमान फकीर, निवासी पिडावा पत्नी सत्तारशाह, निवासी पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

23– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री हुकम चन्द कुमावत एवं नवनीत चतुर्वेदी

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इकबाल अहमद एव ंबी एल माहेश्वरी

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 08.03.2018**

1— यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या — 103/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2— अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 एवं कुसुम बाई एवं मासुम बाई ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पिडावा, तहसील पिडावा में नूराशाह व सकूनत शाह उर्फ शंकूर शाह के शामलाती खाते की भूमि खसरा नम्बर 8 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 10 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 11 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 771 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 42 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल 7 किता की 17 बीघा 3 बिस्वा आराजी स्थित है । नूराशाह का देहान्त हो चुका है । वादीगण उसके वारिस हैं । सकूनतशाह का भी देहान्त हो चुका है उसके एक लडका लतीफ शाह व एक लडकी जमीला बी हुई । प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 उसके वारिस हैं । आराजी में से खसरा नम्बर 41 का कुछ हिस्सा बदरूनिसा पत्नी नोशे खां को बेचान किया है जिसको प्रतिवादी नम्बर 7 बनाया गया है और खसरा नम्बर 41 का कुछ हिस्सा खुर्शीद खानम पत्नी मन्सूर मोहम्मद को बेचान किया गया है जिसको प्रतिवादी नम्बर 8 बनाया गया है । सकूनतशाह उर्फ शकूर शाह ने अपने जीवनकाल में खसरा नम्बर 9 की 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी अब्दुल कवी वल्द अब्दुल सुभान को बेचान किया है जो उनके खाते में लग गयी है और सकूनतशाह उर्फ शकूरशाह ने अपने जीवनकाल में आराजी खसरा नम्बर 42 की 3 बीघा 2 बिस्वा आराजी बद्दूशाह वल्द जुम्माशाह व नसीर, सलीम को बेचान की है जो उनके खाते लग गयी है खातेदार अब्दुल रशीद ने आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा में से 1/20 हिस्सा बदरूनिसा पत्नी नोशे

खां, जाति मुसलमान, को बेचान किया है और खसरा नम्बर 41 में 1/4 हिस्सा जमीला बाई ने तथा 1/20 व 1/20 हिस्सा नजमाबी व सिताराबी ने बदरूनिसा को बेचान किया है । खसरा नम्बर 41 की आराजी नन्नेशाह, कुलसुम बाई, हाजरा बाई, मासूम बाई के हिस्से की 1/14 हिस्सा खुर्शीद खानम पत्नी मन्सूर मोहम्मद को बेचान कर दी है । इस प्रकार प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की तमाम भूमियां बेचान की है शेष बची हुई भूमि वादीगण के हिस्से की बची है । इस बाबत उन्होंने एक तहरीर भी लिख कर दी है । वादग्रस्त आराजी पर केवल वादीगण का कब्जा है । अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण स्वीकार कर दिनांक 29.02.2012 को दावा वादीगण डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3– अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज करवा कर एक तरफा कार्यवाही की गई है । दावा 2006 में पेश किया गया था । प्रथम तलबी की चिठ्ठी पर प्रतिवादी नम्बर 7 का इंतकाल होना जाहिर किया गया और कायम मुकामान की तलबी में पत्रावली चली तथा दिनांक 13.12.2011 को अपीलांट के विरूद्ध अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही की गई । पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई । वकील साहब ने जवाबदावा पेश नहीं किया जिसकी सूचना अपीलांट को मिली । इस कथित इकरारनामे पर विश्वास कर निर्णय पारित किया गया है । यह कूटरचित है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4— अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने पर नकल दिनांक 19.01.2016 को प्राप्त हुई । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5— अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 08.07.2005 की तहरीर के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । तहरीर कूटरचित है जिसके आधार पर कोई अधिकार वादीगण को प्रदान नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है । अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

7— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि सन् 2012 का निर्णय है जिसके खिलाफ 2016 को अपील पेश की गई है जो गम्भीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है । अपीलांटगण की ओर से वकालतनामा भी पेश किया गया है और हर तारीख पेशी पर उपस्थित होने की जिम्मेदारी अपीलांटगण की थी । सन् 2006 से 2011 तक वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जो उचित नहीं है । धारा 5 मियाद अधिनियम की दरख्वास्त में विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । जानकारी की तिथि नहीं बतायी है । अपील सारहीन होने

से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2011 (1) पेज 614, आर आर टी 2012 (1) पेज 569 उद्धरत की ।

8— हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी सम्वत 2022—41 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी कुल 2 किता की 5 बीघा 3 बिस्वा नूराशाह और शकूनतशाह, बहादुर शाह के खाते में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2058—61 के अनुसार कुल 5 किता की 11 बीघा 19 बिस्वा आराजी वादीगण लतीफशाह, जमीला बाई के संयुक्त खाते में दर्ज है । इसमें नामान्तरण संख्या 550 का नोट अंकित है जिसके अनुसार लतीफ शाह के स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 का नाम दर्ज हुआ है । नामान्तरकरण संख्या 478 के अनुसार सहखातेदार अब्दुल रशीद के 1/20 हिस्से पर बदरूनिसा हिस्सा प्रतिवादी नम्बा 7 का नाम दर्ज हुआ है । नामान्तरकरण संख्या 987 से रोडी बाई का नाम हटाया गया है । नामान्तरकरण संख्या 1029 से नन्नेशाह, कुसुम बाई, हाजरा बाई, मासूम बाई के 4/14 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम दर्ज हुआ है । नकल नामान्तरकरण संख्या 174 भी पत्रावली पर सलंग्न है जिसके अनुसार संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा शकूनतशाह द्वारा अब्दुल कबीर का नाम विक्रय के आधार पर नाम दर्ज किया है । नामान्तरकण संख्या 309 की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली में सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 42 की 3 बीघा 2 बिस्वा बदरूनिसां वल्द जुम्माशाह, नसीर, सलीम पुत्र शाकीरशाह के नाम दर्ज की गई है । इसमें यह भी अंकित है कि रजिस्ट्री केवल एक हिस्सेदार ने करवायी है । पत्रावली पर एक मूल तहरीर भी सलंग्न है और बयान पी डब्ल्यू 1 के रूप में नन्ने खा, जफर खां पी डब्ल्यू 2, सादिर हुसैन पी डब्ल्यू 3, अतीकउल्ला खान पी डब्ल्यू 4 शामिल है ।

9— यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पी डब्ल्यू 1 से पी डब्ल्यू 4 के रूप में जो शपथ पत्र पेश किया गया है उसकी शपथग्रहिता द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की गई है और न ही पेश किये गये दस्तावेजात को एक्जीविट करवाया गया है । इन शपथ पत्रों को साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता है ।

10— यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण संख्या 309 में जो आराजी खसरा नम्बर 42 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का विक्रय किया जाना अंकित है वो पेश की गई जमाबंदियों की प्रति सम्वत 2022—41 और सम्वत 2058—61 में पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज नहीं है । इस प्रकार जब तक खसरा नम्बर 42 की 3 बीघा 2 बिस्वा का रेकार्ड पेश किया जाना भी प्रकरण के निस्तारण के लिए आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण के निस्तारण में सी पी सी के प्रावधानों को नजर अन्दाज किया है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

11— जहां तक धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का प्रश्न है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पैरा संख्या 10 में किये गये विवेचन के अनुसार सी पी सी के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और अवैध निर्णय को अपास्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है ।

12— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.02.2012 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

अपीलांटगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित होवें ।

13– निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा